संशोधित **स्मृति पत्र**

1. संस्था का नाम : एस0एस0डी0 पब्लिक स्कूल समिति
2. संस्था का पता : ग्राम– गद्‌मलपुर, पो0– नजीबाबाद (बिजनौर) । उत्तर प्रदेश ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्‌देश्य :

(अ) शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमानुसार ग्रामीण बालक व बालिकाओं के लिए वर्तमान में प्राथमिक तथा भविष्य में माध्यमिक उच्च विद्यालय खोलना और संचालन करना ।

(ब) शिक्षाके साथ–साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु प्रयत्न करना ।

(स) ग्रामीण बालक तथा बालिकाओं के चरित्र निर्माण स्वच्छता देशप्रेम, धर्म प्रेम तथा आत्मलम्बन के भावनागत करना ।

(द) बच्चों के ज्ञानवर्धक हेतु पुस्तकालय आदि की स्थापना करना निरक्षर बच्चों को साक्षर बनाना उसके आदेशों सिद्धान्तों की शिक्षा देना जिससे भारतीय युवक सत्य प्रेम धर्म समन्वय की भावना के साथ आपस में एकता व सहानुभूति के साथ जीवन–यापन करें ।

(य) यह कि नि:सहाय एवं गरीब बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें जैसे पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं नि:शुल्क शिक्षा के साथ–साथ उनकी छात्रवृत्ति का भी प्रबन्ध करना ।

(र) अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर सेन्टर आदि की व्यवस्था करना ।

(ल) विक्लांगों के लिए नि:शुल्क कृत्रिम अंग वितरित करना तथा उनके रहने हेतु विक्लांग आश्रम का निर्माण कर संचालन करना ।

(व) विधवा व असहाय महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना ।

सुशीला

Ranveer

Lokvir

राजाराम **सत्य प्रतिलिपि** कोमल

AK

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम व पते, पद, व्यवसाय जिनको सभी संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है –

क्रंसं	नाम	पिता/पति का नाम	पता व पोस्ट	पद/व व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	चन्द्र प्रकाश	श्री रामजी लाल	ग्राम गढ़मलपुर पो0– नजीबाबाद (बिजनौर)	संरक्षक/ नौकरी	....
2.	सुशीला देवी	श्री चन्द्र प्रकाश	--तदैव--	अध्यक्ष/ ग्रहणी	....
3.	रणवीर चौहान	श्री चन्द्र प्रकाश	--तदैव--	प्रबन्धक/ इंजीनियर	....
4.	लोकवीर सिंह	श्री चन्द्र प्रकाश	--तदैव--	कोषाध्यक्ष	....
5.	अवनीश कुमार	श्री हरस्वरूप सिंह	एफ–4 2, राजेन्द्र नगर रुड़की	इंजीनियर निरीक्षक	....
6.	राजाराम	श्री छोटे सिंह	ग्राम व पो0 हरेवली जिला–बिजनौर	संगठन मंत्री	....
7.	कोमल लता	श्री राजाराम	--तदैव--	सदस्य	....

कार्यकारिणी सभा के सदस्यों की सदस्यता केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी ।

6– हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता उपरोक्त संस्था की स्मृति पत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत पंजीकरण चाहते हैं ।

Ranveer सुशीला Lokvir

AK राजाराम कोमल लता

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
4/3/2004

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : एस0एस0डी0 पब्लिक स्कूल समिति

2. संस्था का पता : ग्राम– गढ़मलपुर, पो0– नजीबाबाद (बिजनौर) । उत्तर प्रदेश ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

(अ) संस्था में कुल चार प्रकार के सदस्य हो सकते हैं –

***1– आजीवन सदस्य :**

जो व्यक्ति एक बार 2501.00 रुपये का या इतने मूल्य का कोई चल/अचल सम्पत्ति संस्था को देगा वह आजीवन सदस्य होगा ।

2– विशिष्ट सदस्य :

लोकोपकारी महान विद्वान समाज सुधारक किसी विधा उच्च आदर्श वाले व्यक्ति को निःशुल्क सदस्य बनाया जा सकता है।

3– संरक्षक सदस्य :

जो व्यक्ति 501.00 रुपये वार्षिक देगा वह संरक्षक सदस्य होगा ।

4– सामान्य सदस्य :

जो व्यक्ति 101.00 रुपये वार्षिक देगा वह सामान्य सदस्य होगा ।

(ब) उपर्युक्त चारों प्रकार के सदस्य होने के लिए निम्न योगयता का होना अनिवार्य है–

1– भारत का नागरिक हो ।

2– 21 वर्ष से अधिक आयु का हो ।

3– पागल या कुष्ठरोगी न हो ।

4– दिवालिया या किसी डिग्री का देनदार न हो ।

5– किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित न हो और उस पर न्यायालय में कोई अभियोग नहीं जो दण्डनीय अपराध है, अर्थात् विचाराधीन अपराधी न हो ।

6– **सदस्यता की समाप्ति–** संस्था में निम्न प्रकार के सदस्यों की सदस्यता से वंचित रह जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

(अ) यदि संस्था का कोई सदस्य संस्था के अहित में कोई कार्य करेगा या संस्था के उद्देश्य से हटकर कार्यरत होगा वह सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा ।

(ब) संस्था के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से अरुचि दिखाते हुए निष्क्रिय हो जाने पर किसी सदस्य की संस्था की सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा ।

(स) संस्था का वह सदस्य जो दिवालिया पागल, या संस्था का यथार्थ में भुगतान नहीं करेगा तो वह संस्था की सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा ।

1– साधारण सभा

2– कार्यकारिणी सभा

साधारण सभा के कार्य– साधारण सभा कार्य निम्नवत् होंगे –

1– प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।

2– संस्था की वित्तीय निति निर्धारित करना ।

3– संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

बैठक– 4– साधारण सभा द्वारा वर्ष में कम से कम एक बैठक करना और 90 दिन पहले इसकी सूचना सदस्यों को देना विशेष परिस्थिति में अधिवेश बुलाया जा सकता है।

गणपूर्ति– 5– कुल सदस्य संख्या की दो–तिहाई गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा यदि गणपूर्ति नही होती तो उपस्थित सदस्य निश्चित समय से एक घण्टा बाद बैठक स्थगित कर देंगे । बैठक के स्थगित होने के दो दिन बाद दोबार एजेण्डा निकाला जायेगा और बैठक की जायेगी, यदि दोबारा गणपूर्ति नहीं होती और आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तो बैठक की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी।

गठन– साधारण सभा के द्वारा प्रस्ताव होने पर साधारण सभा के सदस्यों के लिए सदस्यता फार्म भरवाकर सदस्य बनाया जा सकता है।

Ramveer सुशीला

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

8- **प्रबन्धकारिणी समिति :**

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति संस्था का प्रबन्ध करने वाली संस्था है जिसका गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से चुनाव करके करेगी और इसका कार्यकाल पाँच वर्ष होगा । सदस्य का साक्षर होना आवश्यक है।

9- पदाधिकारी की संख्या एवं पद प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारियों सहित संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 16 होगी ।

10- प्रबन्ध समिति के निम्न पदाधिकारी होंगे-

1- संरक्षक,
2- अध्यक्ष
3- प्रबन्धक
4- कोषाध्यक्ष
5- निरीक्षक
6- संगठन मंत्री ।

बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति की वर्ष में दो बैठक होगी ।

सूचना अवधि-बैठक की लिखित सूचना मंत्री द्वारा बैठक से 7 दिन पूर्व की जायेगी विशेष परिस्थिति में दो दिन पहले एजेण्डा निकाल कर सभा की जा सकेगी ।

गणपूर्ति- दो-तिहाई सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति आजीवन और संरक्षक सदस्यों में से की जायेगी ।

कार्यकाल- समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

11- **प्रबन्धकारिणी समिति के कर्त्तव्य व अधिकार -**

(अ) 1- संस्था एवं इससे सम्बन्धित विद्यालय का संचालन एवं देखभाल करना ।
2- संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की रक्षा करना ।
3- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनको नियमानुसार पदाचित करना।
4- बजट बनाना एवं प्रगति योजना बनाना ।

(ब) **चुनाव प्रक्रिया-** प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष है, कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव कराया जायेगा ।

Ranveer

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
... मण्डल, इलाहाबाद

1- अवधि समाप्त होने पर चुनाव की घोषणा चुनाव से 15 दिन पूर्व कर दी जायेगी।

2- नामजदगी संरक्षक के द्वारा चुनाव से 5 दिन पहले होगी ।

3- जांच नामजदगी के अगले दिन होगी ।

4- नाम वापसी चुनाव से 24 घण्टे पहले तक नाम वापिस किया जा सकता है।

5- चुनाव साधारण सभा प्रत्येक सदस्य गुप्त मतदान द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे ।

12- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

1- संरक्षक के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) संरक्षक विद्यालय के निर्माण कराने, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का काय करेगा । यदि प्रधान एवं प्रबन्धक में आपसी मतभेद के कारण स्कूल की अहित होने की सम्भावना हो तो वह प्रबन्धकारिणी को भंग कर सकता है।

2- अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) संस्था की बैठक का सभापति होगा ।

(ब) चुनाव का मान्य अधिकार होगा ।

(स) प्रबन्धकारिणी समिति नियमों का पालन न करेगी तो अध्यक्ष उसे भंग करके नये चुनाव करा सकता है।

(द) संस्था का संरक्षक होगा ।

3- प्रबन्धक के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना ।

(ब) संस्था के अधीन चलने वाले विद्यालय की देखभाल करना । उसकी लेखा व्यवस्था करना ।

(स) वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन बिल स्वीकृत करना एवं भुगतान करना तथा प्रधानाचार्य से मासिक हिसाब लेना ।

(द) कार्य अवहेलना के लिए कर्मचारी को निम्बित करना और जबाब लेना ।

(य) सरकार के नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग एवं विस्तार पर सोसायटी के आदेशों का पालन करना और प्रत्येक की सूचना प्रबन्धकारिणी को देना । प्रबन्धक के हस्ताक्षर के बिना कोई दस्तावेज पूर्ण नहीं मानी जायेगी ।

Ranveer   सुशीला

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

4– **कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :**

(अ) कोषाध्यक्ष प्रबन्धक के साथ सम्मिलित संस्था का खाता बैंक में खोलेगा । संस्था के वेतन, भवन निर्माण मरम्मत इत्यादि बिलो का भुगतान करेगा ।

(ब) कोषाध्यक्ष अपनी इच्छा से संस्था का कोई धन खर्च नहीं कर सकता और प्रबन्ध के किसी बिल का भुगतान नहीं रोक सकेगा संस्था के समस्त आय–व्यय का ब्यौरा रखना व वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रबन्धक के आदेशानुसार संचालन करना ।

5– **निरीक्षक के अधिकार व कर्त्तव्य :**

(अ) संस्था के समस्त लेखो का निरीक्षण करना ।

(ब) अपने निरीक्षण की आख्या प्रबन्धक को भेजना । निरीक्षक संस्था के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है ।

6– **कोष की संचालन विधि :**

संस्था के कोष का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खोला जायेगा, जिसका संचालन प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा ।

7– **भुगतान का उत्तरदायित्त्व :**

संस्था द्वारा किसी संस्थान एवं सरकार या व्यक्ति विशेष से ऋण लिये जाने पर भुगतान का उत्तरदायित्त्व कार्यकारिणी का होगा ।

8– **संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया :**

साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 मत द्वारा संस्था के किसी भी नियम में संशोधन किया जा सकता है वह संशोधन संस्था के सभी सदस्यों को मान्य होगा । संशोधन सोसायटी रजि0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होने पर लागू होगा ।

9– **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :**

कोषाध्यक्ष तथा निरीक्षक द्वारा समिति आय–व्यय का ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट वर्ष की अन्तिम मीटिंग करके संस्था के सभी सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी ।

10– **संस्था के विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्त्व :**

किसी भी कार्यवाही के प्रति उत्तर देने का उत्तरदायित्त्व प्रबन्धक का होगा ।

Ranveer   चन्द्रप्रभा   सुशीला   Kiran

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

11– रिक्त स्थानों की पूर्ति :

कार्यकारिणी में किसी प्रकार से रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति कार्यकारिणी द्वारा साधारण सभा के किसी योग्य सदस्य द्वारा की जा सकती है ।

12– संस्था का विघटन :

संस्था का विघटन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार होगा।

13– संस्था के अभिलेख :

1– सदस्यता रजिस्टर, 2– कार्यवाही रजिस्टर, 3– स्टॉफ रजिस्टर

4– डाक रजिस्टर ।

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर –

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद

पत्रांक 123 / MBD 8393 मुरादाबाद :: दिनांक 19-4 2014

सेवा में,

प्रबन्धक

एम० एम० पब्लिक स्कूल समिति

ग्राम महमूदपुर पो० मनौवाला

जिला- बिजनौर

विषयः– संस्था .... उक्त ....

.... के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर संस्था की संशोधित स्मृतिपत्र पंजीकृत की जाती है। यदि आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने की बात भविष्य में प्रकाश में आती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा पंजीकृत अभिलेख पंजीकरण की तिथि से अमान्य एवं विधिशून्य होंगे।

भवदीय

(हरिश्चन्द्र यादव)

सहायक निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AC 252880

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था रघुवीर एस०डी० पब्लिक स्कूल समिति बिजनौर के संशो०

के स्मृति-पत्र/नियमावली की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
25/4/2014

संशोधन स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : एस0एस0डी0 पब्लिक स्कूल समिति।

2. सस्था का पता : ग्राम गढ़मलपुर पोस्ट नजीबाबाद जिला बिजनौर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उददेश्य : संस्था के उददेश्य निम्न प्रकार है–

1. शिक्षा विभाग के पाठ्याक्रमानुसार ग्रामीण एवं शहरी बालक एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विधालय/कालेज खोलना एवं उनका संचालन करना।
2. शिक्षा के साथ–साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु प्रयत्न करना।
3. बालक तथा बालिकाओं के चरित्र निर्माण, स्वच्छता, देश प्रेम, धर्म प्रेम तथा आत्मलम्बन के भावनागत करना।
4. बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय/वाचनालय आदि की स्थापना करना। तथा निर्धन निरक्षर बच्चों को साक्षर बनाना, उसको आदेशों सिद्धान्तों की शिक्षा देना जिससे भारतीय युवक सत्य प्रेम, धर्म व समन्वय की भावना के साथ आपस में एकता व सहानुभूति के साथ जीवन यापन कर सकें।
5. यह कि निःसहाय एवं गरीब बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं जैसे पुस्तकें कॉपिया आदि उपलब्ध कराना एवं निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ उनकी छात्रवृत्ति का भी प्रबन्ध कराना।
6. अनूसुचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर सैन्टर आदि की व्यवस्था करना।
7. विकंलागों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरित करना तथा उनके रहने हेतु विकलांग आश्राम का निर्माण कर संचालन करना।
8. विधवा व असहाय महिलाओं एवं वृद्ध महिला व पुरुषों के उत्थान के लिए कार्य करना एवं आश्राम खोलना।
9. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के लिए महाविधालियों की स्थापना करना तथा संचालन करना। शिक्षा सुधार हेतु शिक्षाविदों की गोष्ठीयां आयोजित करके सरकार को उनसे अवगत करना, उन सभी साधनों का क्रियावन्यन करना जिससे शिक्षा का प्रसार सम्भव हो। शिक्षा के लिए विधार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन देना। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध करना। मिड–डे–मील योजना का संचालन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद

10. संस्था के द्वारा तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण विधालय एवं कालेज खोलना एवं संचालन करना।
11. संस्था के द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसे बी.टी.सी., बी.एड, एम.एड आदि कालेजों को खोलना एवं संचालन करना।
12. संस्था के द्वारा पैरामेडिकल कालेजों एवं मेडिकल कालेजों की स्थापना कर संचालन करना एवं धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना कर संचालन करना।
13. यह कि संस्था बिना लाभ–हानि (अलाभकारी) के उददेश्यों से कार्य करेगीं
14. शारीरिक रुप से विकंलाग व्यक्तियों को ट्राईसाईकिल, वैशाखी, कान की मशीन आदि का जगह–जगह शिविर लगाकर निःशुल्क वितरण करना।
15. यह कि मानसिक रुप से विकंलाग एवं समाज से तिरस्कृत शोषित महिलाओं को भोजन व रहने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
16. संस्था जनहित में उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड/आयोग, खादी कमिशन, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, मान्यता प्राप्त बैंकों व समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वस्त्र विभाग, विज्ञान एवं प्रोधागिकी विभाग, डूडा, यूनिसेफ, हुडको, सिफसा, कपार्ट व नवार्ड, वित विकास निगम, सैन्ट्रल वफफ कोन्सिल, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन, राज्य सरकार, भारत सरकार, व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिष्ठान आदि की योजनाओं के अनुसार कार्य करना एवं उससे होने वाले लाभ धन को चैरेटेबिल कार्यों पर खर्च करना।

सुशीला

राजाराम

प्रतिलिपि

उप रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद
25/4/2024